

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक / आईडीएसपी / 2020 / 586

भोपाल / दिनांक 02/5/2020.

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
2. समस्त कलेक्टर, म0प्र0
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म0प्र0
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0

विषय:—कोविड-19 सेम्पल्स की जांच आई.सी.एम.आर. द्वारा अधिकृत प्रायवेट लेब से कराने बाबत।


संदर्भ:—संचालनालय का पत्र दिनांक 24-4-2020.

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में कोविड-19 के न्यूनतम लक्षण वाले मरीजों को कोविड केयर सेंटर के बजाय घर पर आइसोलेशन में रखे जाने की सहमति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश की प्रति पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। चिकित्सकीय परीक्षण एवं परामर्श के उपरांत ही न्यूनतम लक्षण वाले मरीजों को घर पर आइसोलेशन की अनुमति प्रदान क जाये। ऐसे मरीजों की 14 दिवस की आइसोलेशन अवधि पूर्ण होने पर 24 घण्टे के अंतराल से 2 सेम्पल लिये जायें एवं दोनो सेम्पल निगेटिव आने पर ही मरीज को उपचारित घोषित किया जाये। इसके पश्चात मरीज को पुनः 14 दिवस तक घर पर कोरेन्टाईन किया जाये।

कोविड केयर सेंटर में उपचाररत मरीज, कोरेन्टाईन सेंटर अथवा घर पर आइसोलेशन में रखे गये मरीज यदि कोविड-19 की जांच यदि प्रायवेट लेब में कराना चाहे तो उन्हें निम्न शर्तों का पालन करने की स्थिति में प्रायवेट लेब में जांच की अनुमति प्रदान की जा सकती है:—

1. केवल आई.सी.एम.आर. द्वारा अधिकृत प्रायवेट लेब में ही जांच कराई जाये।
2. प्रायवेट लेब में जांच कराने पर संबंधित मरीज/उसके परिजन द्वारा ही उसका भुगतान किया जाएगा।
3. प्रायवेट लेब द्वारा कोविड-19 की जांच हेतु मरीज के सेम्पल लेने की व्यवस्था निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप स्वयं की जाएगी एवं प्रति टेस्ट आई.सी.एम.आर. के द्वारा निर्धारित दर के अंतर्गत ही भुगतान लिया जायेगा।

4. प्रायवेट लेब द्वारा की गई कोविड-19 के समस्त सेम्पल्स की जांच रिपोर्ट संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सभी जांच रिपोर्ट की एन्ट्री आईडीएसपी पोर्टल पर की जाना चाहिए।
5. संबंधित मरीज/उसके परिजन द्वारा जांच रिपोर्ट की जानकारी क्षेत्र की मोबाईल युनिट को देना अनिवार्य होगा।



(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/आईडीएसपी/2020/ 587

भोपाल/दिनांक 02/5/2020.

प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म0प्र0, भोपाल
6. समस्त अधीष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म0प्र0
7. प्रभारी कोविड-19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0, भोपाल


आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश